इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 635]   भोपाल, बुधवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2022—अग्रहायण 30, शक 1944

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2022

क्र. 20602-मप्रविस-15-विधान-2022.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 4) विधेयक, 2022 (क्रमांक 27 सन् 2022) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तद्नुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २७ सन् २०२२

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-४) विधेयक, २०२२

वित्तीय वर्ष २०२२-२०२३ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-४) अधिनियम, २०२२ है.

वित्तीयवर्ष २०२२-२०२३ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये १,६३,०६,९६,९५,४०० का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये सोलह हजार तीन सौ छह करोड़ छियानवे लाख पचानवे हजार चार सौ होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत् वित्तीय वर्ष २०२२-२०२३ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपयों में)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन		(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा मतदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
			रुपये	**रुपये**	रुपये
००१.	सामान्य प्रशासन				
		राजस्व	५०,००,००,२००	**१५,२३,००,२००**	६५,२३,००,४००
		पूंजी	१३,४२,०००	०	१३,४२,०००
००२.	विमानन				
		राजस्व	२६,१५,००,०००	०	२६,१५,००,०००
००३.	गृह				
		राजस्व	३००	०	३००
		पूंजी	१,००,००,००,४००	०	१,००,००,००,४००
००६.	वित्त				
		राजस्व	१९,८०,४१,५८,५००	०	१९,८०,४१,५८,५००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	**रुपये**	रुपये
००७.	वाणिज्यिक कर				
		राजस्व	५,८५,००,०००	०	५,८५,००,०००
००८.	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय				
		राजस्व	१,३६,२४,००,०००	०	१,३६,२४,००,०००
०१०.	वन				
		राजस्व	९,२४,१९,०००	०	९,२४,१९,०००
		पूंजी	८,००,००,०००	०	८,००,००,०००
०१२.	ऊर्जा				
		राजस्व	३५,००,००,००,०००	०	३५,००,००,००,०००
०१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास				
		राजस्व	२,५८,००,००,६००	०	२,५८,००,००,६००
		पूंजी	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
०१४.	पशुपालन एवं डेयरी				
		राजस्व	३,००,००,०००	०	३,००,००,०००
०१६.	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास				
		राजस्व	४,००,००,०००	०	४,००,००,०००
०१७.	सहकारिता				
		राजस्व	८८,००,००,३००	०	८८,००,००,३००
०१८.	श्रम				
		राजस्व	८,७५,०००	०	८,७५,०००
०१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण				
		राजस्व	२,३९,०६,९७,०००	०	२,३९,०६,९७,०००
		पूंजी	४००	०	४००
०२१.	लोक सेवा प्रबंधन				
		राजस्व	७,९६,००,०००	०	७,९६,००,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	रुपये	रुपये
०२२.	नगरीय विकास एवं आवास				
		राजस्व	१३,५१,१८,००,०००	२,२०,२९,००,०००	१५,७१,४७,००,०००
०२३.	जल संसाधन				
		पूंजी	२,५०,००,००,०००	०	२,५०,००,००,०००
०२४	लोक निर्माण कार्य				
		राजस्व	४,५१,५०,००,०००	०	४,५१,५०,००,०००
		पूंजी	१३,१०,००,००,०००	०	१३,१०,००,००,०००
०२५.	खनिज साधन				
		राजस्व	८०,००,००,०००	०	८०,००,००,०००
		पूंजी	१,२०,००,००,०००	०	१,२०,००,००,०००
०२६	संस्कृति				
		राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
०२७.	स्कूल शिक्षा				
		राजस्व	३००	०	३००
०२९	विधि और विधायी कार्य				
		राजस्व	७८,००,२००	०	७८,००,२००
०३०	ग्रामीण विकास				
		राजस्व	१०,००,००,००,२००	०	१०,००,००,००,२००
०३२	जनसंपर्क				
		राजस्व	६५,००,००,०००	०	६५,००,००,०००
०३३	जनजातीय कार्य				
		राजस्व	६,००,००,९००	०	६,००,००,९००
०३४	सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण				
		राजस्व	१,०१,००,००,०००	०	१,०१,००,००,०००
०३५	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम				
		पूंजी	१,३०,५६,०००	०	१,३०,५६,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	रुपये	रुपये
०३६	परिवहन				
		राजस्व	२०,५५,००,०००	०	२०,५५,००,०००
०३८	आयुष				
		राजस्व	३७,३१,००,०००	०	३७,३१,००,०००
०३९	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.				
		राजस्व	१००	०	१००
०४०.	पंचायत				
		राजस्व	१४,७२,००,००,०००	०	१४,७२,००,००,०००
०४३.	खेल और युवा कल्याण				
		राजस्व	७८,०१,३३,०००	०	७८,०१,३३,०००
		पूंजी	३६,००,००,०००	०	३६,००,००,०००
०४४.	उच्च शिक्षा				
		राजस्व	२५,००,००,०००	०	२५,००,००,०००
०४६.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी				
		पूंजी	१,०२,५०,००,०००	०	१,०२,५०,००,०००
०४७.	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार.				
		राजस्व	२,१०,४४,००,०००	०	२,१०,४४,००,०००
		पूंजी	४९,००,००,०००	०	४९,००,००,०००
०४८.	नर्मदा घाटी विकास				
		पूंजी	२६,०४,१४,००,०००	०	२६,०४,१४,००,०००
०४९.	अनुसूचित जाति कल्याण				
		राजस्व	१,३८,०२,७००	०	१,३८,०२,७००
०५१.	धार्मिक न्यास और धर्मस्व				
		राजस्व	२०,३५,८०,०००	०	२०,३५,८०,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	रुपये	रुपये
०५२.	चिकित्सा शिक्षा				
		राजस्व	१,६५,३९,०४,०००	०	१,६५,३९,०४,०००
०५३.	अल्प संख्यक कल्याण				
		पूंजी	७४,२४,००,०००	०	७४,२४,००,०००
०५५.	महिला एवं बाल विकास				
		राजस्व	१,००,००,०००	०	१,००,००,०००
		पूंजी	१,०१,२४,१००	०	१,०१,२४,१००
०५६.	कुटीर एवं ग्रामोद्योग				
		राजस्व	२०,००,०००	०	२०,००,०००
	योग :	राजस्व :	१,१४,०५,११,७२,३००	**२,३५,५२,००,२००**	१,१६,४०,६३,७२,५००
		पूंजी :	४६,६६,३३,२२,९००	०	४६,६६,३३,२२,९००
		वृहद-योग :	१,६०,७१,४४,९५,२००	**२,३५,५२,००,२००**	१,६३,०६,९६,९५,४००

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४(१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०२२-२०२३ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १९ दिसम्बर, २०२२

जगदीश देवड़ा
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.